बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति दिनांकः 31 अक्टूबर, 2025

वेबकास्टिंग से रूकेगा बोगस वोटिंग और मतदान केन्द्रों पर फर्जीवाड़ा

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 में प्रत्येक मतदाता को सुरक्षित, निष्पक्ष, निर्भीक और वातावरण उपलब्ध कराना निर्वाचन Machinery की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से इस वर्ष सभी मतदान केन्द्रों पर विस्तृत वेबकास्टिंग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मतदान की प्रत्येक चरण पर सतत निगरानी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के तहत पहले चरण में कुल 45341 तथा दूसरे चरण में कुल 45399 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग होगी।

वेबकास्टिंग का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे को सशक्त बनाना है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदान निर्बाध चले और मतदान केन्द्रों पर शुचिता और अनुशासन की भावना बनी रहे। भारत निर्वाचन आयोग की यह पहल मतदान प्रणाली में जन–विश्वास को और मजबूत करती है।

वेबकास्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलु

- मतदान कक्ष में अनावश्यक भीड़ या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी पर रोक रहती है एवं इसका आसानी से पर्यवेक्षण हो जाता है।
- मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, हथियार या किसी प्रकार की अवांछित गतिविधियों निगरानी सुगमता से संपन्न हो जाती है।
- यदि कहीं मतदान गति धीमा प्रतीत होती है या भीड़ बढ़ती है, तो वेबकास्टिंग के द्वारा निगरानी कर संबंधित अधिकारी तुरंत आवश्यक कदम उठाते हैं।
- वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था और सुरक्षा की पूरी निगरानी की जाती है ताकि कोई बाधा न आए और मतदाता स्वाभाविक रूप से मतदान कर सकें। यह पहल न केवल मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाती है, बल्कि हर मतदाता को यह आश्वस्त करती है कि उनका वोट पूरे सम्मान और गोपनीयता के साथ सुरक्षित है।

- मतदान केन्द्र में वोटिंग की गोपिनियता को भंग करना, बूथ पर अनाधिकृत प्रवेश करना या किसी भी तरह का गैर विधिक कृत्य करना लोकप्रतिनिधित्व कानून एवं भारतीय न्याय संहिता के सुंसगत प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। अतएव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार सभी मतदाताओं, मीडिया जगत एवं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस प्रयास को लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक सार्थक कदम के रूप में देखें। प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक वोट राज्य के भविष्य को दिशा देता है, और इस विश्वास के साथ मतदान करना ही श्रेष्ठ नागरिक कर्तव्य है।

****